

# पुलिस जाँच हेतु

5893

जिला प्रशासन ने सूचित किया है कि राष्ट्र विरोधी व सामाजिक तत्व विभिन्न महाविद्यालयों में शरण ले रहे हैं। अतः जनपद के पुलिस विभाग द्वारा सत्यापन जाँच हेतु प्रत्येक छात्र/छात्रा द्वारा, स्वलिखित एवं स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित निम्न प्रपत्र आवेदन-पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है। किसी भी सत्य जानकारी को छुपाना दण्डनीय अपराध है। जिसके हेतु छात्र/छात्रा एवं उनके अभिभावक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

पासपोर्ट साइज  
फोटोग्राफ

## सत्यापन प्रपत्र

नाम छात्र/छात्रा	पिता/माता का नाम	वर्तमान पता एवं दूरभाष नं०	स्थायी पता (थाना, तहसील, मोहल्ला, जिला, राज्य सहित) एवं दूरभाष नं०	अध्ययनरत/प्रवेश की कक्षा एवं पाठ्यक्रम

पिता/नाम के हस्ताक्षर.....

नाम.....

दिनांक .....

छात्र/छात्रा के पूर्ण हस्ताक्षर.....

नाम.....

दिनांक .....

नोट: उत्तराखण्ड के छात्रों द्वारा 1 छायाचित्र (नवीनतम) एवं बाहर प्रदेशों के छात्र/छात्राओं द्वारा 3 (नवीनतम) देना अनिवार्य है।